Title: Consideration and passing of the Two-member Constituencies (Abolition) and other Laws Repeal Bill, 2001.

19.11 hrs.

MR. CHAIRMAN: Now, the House shall take up Item No.17.

Shri I.D. Swami.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): I beg to move:

"That the Bill to repeal the Two-Member Constituencies (Abolition) Act, 1961 and certain other enactments, be taken into consideration."

सभापित जी, मैं एक बड़ा सिम्पल इनोकुअस सा बिल लेकर आया हूं। The Two-Member Constituencies (Abolition) and Other Laws Repeal Bill, 2001 ये सात ऐसे एक्ट हैं, जो रिडण्डैण्ट हैं, नॉन फंक्शनल हैं, इनइफैक्टिव हैं, जिनका परपज पूरा हो चुका है। सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने जैन कमीशन एपाइंट किया था और उसने तकरीबन 1300 ऐसे एक्ट इन्यूमरेट किये हैं, जिनका अब कोई परपज नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, वे सिर्फ स्टेच्यूट बुक पर भार हैं। उसी श्रंखला में ये सात एक्ट जो पिछले हैं, इनको रिपील करने के लिए यह बिल मैं इस ऑगस्ट हाउस के सामने लाया हूं। उसमें एक बिल तो ऐसा है, जो लोक सभा में और असेम्बलीज में पहले डबल मैम्बर कांस्टीट्वेंसी होती थी, दू मैम्बर कांस्टीट्वेंसी होती थी, उसके लिए 1961 में एक एक्ट बनाया था - The Two-Member Constituencies (Abolition) Act, 1961. उस वक्त दू मैम्बर कांस्टीट्वेंसी को खत्म करके एक मैम्बर कांस्टीट्वेंसी बनी थी। उस एक्ट का परपज अब पूरा हो गया है।

तीन एक्ट ऐसे हैं, जो आन्ध्र प्रदेश, वैस्ट बंगाल और तिमलनाडू, इन तीनों स्टेट्स में, तीनों प्रान्तों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलीशन एक्ट, 1965, तिमलनाडू लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलीशन एक्ट, 1986, वैस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलीशन एक्ट, 1969, यह उन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इन तीनों स्टेट्स में एबोलिश करने के लिए बनाये गये थे। ये एक्ट भी अपना परपज उस वक्त पूरा कर चुके। अब ये स्टेच्यूट बुक पर खाहमखाह का भार है, बोझ है। इन तीनों एक्टस को भी रिपील करना है।

इसी तरह से तीन एक्ट और हैं, जो मद्रास स्टेट, मैसूर स्टेट और यूनियन टैरीटरी ऑफ लक्षदीप, मिनीकाय और मिनीदीव आईलैंड का नाम बदला था। मद्रास का नाम तमिलनाडू रखा गया, मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया और उन तीन यूनियन टैरीटरीज का लक्षद्वीप रखा गया था, उसके लिए भी इन तीन एक्ट्स में से एक एक्ट 1968 में और दो एक्ट 1973 में आये थे, उनका भी परपज खत्म हो चुका है। तीन एक्ट ऐसे नाम बदलवाने वाले हैं। तीन यूनी कैमरल बनाने वाले एक्ट थे और एक जो डबल मैम्बर कांस्टीट्वेंसी खत्म की थीं, सिंगल मैम्बर बनाई थी, वह था, ये सात के सात एक्ट रिपील करने के लिए आपके सामने मैं यह प्रस्ताव रख रहा हूं कि आप इस रिपील बिल को पास करेंगे।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to repeal the Two-Member Constituencies (Abolition) Act, 1961 and certain other enactments, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will nowtake up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

Clause 2 was added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill

Clause 1, The Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.